GOVERNMENT OF INDIA/भारत सरकार
MINISTRY OF RAILWAYS/रेल मंत्रालय
(Railway Board)

S.No.PC-V/450
No. PC-V/2004/ACP/I

RBE No. 50 /2005
New Delhi, dated23 -3-2005

The General Managers/CAO(R)
All Indian Railways & PUs
(As per mailing list)

Sub:- Assured Career Progression (ACP) Scheme for the Railway servants – Clarification regarding.

In terms of the provisions of the Assured Career Progression (ACP) Scheme issued vide Railway Board's letter No. PC-V/99/I/1/1 dated 01-10-99, the extension of the benefit of higher pay scales under the ACP Scheme, in accordance with the existing hierarchy, is subject to fulfilment of certain conditions enumerated in Annexure-I of the said letter. Condition number 6 of the Annexure provides for fulfilment of the normal promotion norms (bench-mark, departmental examination, seniority-cum-fitness in case of Gr. 'D' employees etc.) prescribed in the Recruitment Rules. It has further been clarified in reply to point of doubt number 46 of Annexure to Board's letter No.PC-V/99/I/1/1 dated 19-2-2002 that various conditions specified in the Recruitment Rules for promotion to the next higher grade, including the higher/additional educational qualification, if prescribed, would need to be met even for consideration under the ACP Scheme.

2. A doubt has been expressed as to whether the requirement of fulfilment of all promotional norms even for ACP Scheme will include the requirement of fulfilment of minimum eligibility service prescribed in the Recruitment Rules for promotion to next higher grade in the hierarchy.

3. In this regard, it is pointed out that, in terms of condition number 4 of the Annexure-I to the letter dated 1-10-99, the first financial upgradation shall be allowed after 12 years of regular service and the second financial upgradation after 12 years of regular service from the date of the first financial upgradation, subject to fulfilment of the prescribed conditions. Condition number 5.1 of the Annexure-I to the letter dated 1-10-99 further provides that two financial upgradations under the ACP Scheme shall be available only if no regular promotions during the prescribed periods (12 and 24 years) have been availed by an employee. If an employee has already received one regular promotion, he shall qualify for the second financial upgradation only on completion of 24 years of regular service under the Scheme. Condition number 15 of the Annexure-I to the letter dated 1-10-99 provides that, subject to condition number 4, where the employees have already completed 24 years of regular service, with or without a promotion, the second financial upgradation under the Scheme shall be granted directly.

4. It is, therefore, clear from harmonious reading of condition number 6 of the Annexure-I to the letter dated 1-10-99 with the other conditions and stipulations of the ACP Scheme that, while a person has to be eligible in all other aspects (educational qualification, departmental examination, skill/trade test, bench mark, etc.) to hold the higher post, in terms

PWS

of the Recruitment Rules, the scale of which is being considered under the ACP Scheme, insofar as the requirement of **"eligibility service"** is concerned, the only requirement is that he should have completed the prescribed 12 or 24 years' regular service, as the case may be, counted from the direct entry grade without insistence on further completion of residency period in any particular grade.

5. In fact, this condition has been further relaxed in respect of cases where an employee has moved from one post to another post on direct recruitment /absorption basis or on deputation basis, followed by absorption. In such cases, as clarified in reply to point of doubt number 4-6 of Annexure to Board's letter No.PC-V/99/I/1/1 dated 11-5-2000, past service in the same grade can also be counted towards the regular service.

6. Hindi version is enclosed.

P.Goel 23/3/05

(P.K. Goel)
Director, Pay Commission
Railway Board

No. PC-V/2004/ACP/1 New Delhi, dated 23 -3-2005

Copy (with 40 spares) forwarded to Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), New Delhi.

For Financial Commissioner, Railways

No. PC-V/2004/ACP/1 New Delhi, dated 23 -3-2005

Copy forwarded to :-

1) The General Secretary, NFIR (with 35 spares)
2) The General Secretary, AIRF (with 35 spares)
3) The Members of the National Council, Departmental Council and Secretary, Staff Side, National Council, 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi (with 90 spares)

for Secretary, Railway Board

Copy to:-

1. The GMs, N.F. Railway (Const.),CAO, SR (Const.) and CR (Const.)
2. FA & CAOs, All Indian Railways, PUs, NFR (Const.), SR (Const.) & CR (Const.)
3. The Director General, RDSO/Lucknow
4. The General Manager and FA & CAO, Metro Railway/Calcutta
5. The CAO and FA & CAO, COFMOW/New Delhi
6. The General Manager and FA & CAO, CORE/Allahabad
7. The Principal, Railway Staff College/Vadodara
8. The CAO (Const.), MTP(R)/Mumbai
9. The CAO (Const.), MTP(R)/Chennai
10. The Director, CAMTECH/Gwalior-474020
11. The Director, IRICEN/Pune, IRIEEN/Nasik Road, IRIMEE/Jamalpur, IRISET/Secunderabad
12. The Managing Director, RITES, IRCON, IRFC, CONCOR, Executive Director, CRIS
13. The Chairman and Managing Director, KRC Limited/New Delhi
14. O/o Chief Project Administrator (Telecom), IRCOT Consultancy, Shivaji Bridge/New Delhi.
15. The Director (Movement), Railways/Calcutta
16. The Joint Director(Finance), RDSO, Lucknow

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

क्र.सं. पी सी V/ 450
सं. पी सी V/2004/एसीपी/1

आर बी ई सं. 50 /2005
नई दिल्ली, दिनांक 23-03-2005

महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (आर)
सभी भारतीय रेलें तथा उत्पादन इकाइयां
(डाक सूची के अनुसार)

विषय : रेल सेवकों के लिए सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत वित्तीय अपग्रेडेशन के संबंध में स्पष्टीकरण.

रेलवे बोर्ड द्वारा जारी पत्र सं. पी सी -V/99/आई/1/1 दिनांक 1.10.99 द्वारा आरम्भ की गई सुनिश्चित कॅरिअर प्रोन्नयन की योजना के प्रावधानों के अनुसार, सुनिश्चित कॅरिअर प्रोन्नयन की योजना के अन्तर्गत मौजूदा पद-सोपान संरचना के अनुसार उच्चतर वेतनमानों का लाभ दिया जाना, उपर्युक्त पत्र के अनुबंध-1 में वर्णित कुछ शर्तें पूरी किए जाने के अधीन है। शर्त संख्या 6 में, भर्ती नियमों में निर्धारित पदोन्नति के सामान्य मानदंडों (अपेक्षित न्यूनतम मानक (बैंचमार्क) , विभागीय परीक्षा, समूह 'घ' कर्मचारियों के मामले में वरिष्ठा सह योग्यता आदि) के पूरा किए जाने का प्रावधान है। रेलवे बोर्ड के दिनांक 19.2.2002 के पत्र सं.पी सी-V/99/आई/1/1 में शंका बिंदु 46 के उत्तर में इस बारे में आगे और स्पष्ट किया गया है कि अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के संबंध में भर्ती नियमों में विनिर्दिष्ट, उच्चतर/अतिरिक्त शैक्षिक अर्हताओं, यदि निर्धारित हों तो, सहित विभिन्न शर्तें, सुनिश्चित कॅरिअर प्रोन्नयन की योजना के अंतर्गत विचार किए जाने हेतु भी पूरी की जानी आवश्यक होंगी।

2. इस बारे में संशय प्रकट किया गया है कि क्या सुनिश्चित कॅरिअर प्रोन्नयन की योजना से संबंधित लाभ के लिए भी पदोन्नति से जुड़े सभी मानदण्डों के परा किए जाने से संबद्ध अपेक्षा में, पद सोपान संरचना में अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति हेतु भर्ती नियमों में निर्धारित न्यूनतम पात्रता सेवा कर लिए जाने से संबंद्ध अपेक्षा पूरी की जानी शामिल है।

3. इस संबंध में, यह बता दिया जाए कि सुनिश्चित कॅरिअर प्रोन्नयन की योाजना के दिनांक 1.10.99 के पत्रके अनुबंध-1 की शर्त संख्या 4 के अनुसार पहला वित्तीय उन्नयन (अपग्रेडेशन) 12 वर्ष की नियमित सेवा के बाद और दूसरा उन्नयन, पहला वित्तीय उन्नयन किए जाने की तारीख से आगे और 12 वर्ष की नियमित सेवा में बाद निर्धारित शर्ते पूरी करने पर दिया जाए। दिनांक 1.10.99 के पत्र के अनुबंध-1 की शर्त संख्या 5.1 में आगे यह प्रावधान है कि सुनिश्चित कॅरिअर प्रोन्नयन की योाजना के अंतर्गत किसी कर्मचारी को दो वित्तीय उन्नयन तभी उपलब्ध हो सकेंगे जब वह 12 और 24 वर्ष की निर्धारित अवधि के दौरान कोई भी नियमित पदोन्नति नहीं ले पाया हो । यदि किसी कर्मचारी को एक नियमित पदोन्नति पहले ही मिल गई हो तो वह सुनिश्चित कॅरिअर प्रोन्नयन की योजना के अन्तर्गत दूसरे वित्तीय उन्नयन का लाभ दिए जाने योग्य 24 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर लेने पर ही होगा । दिनांक 1.10.99 के पत्र के अनुबंध-1 की शर्त संख्या 15 में यह प्रावधान है कि शर्त संख्या 4 के अधीन जिन मामलों में कर्मचारियों ने कोई पदोन्नति प्राप्त करके अथवा कोई पदोन्नति प्राप्त किए बिना ही 24 वर्ष की नियमित सेवा पहले ही पूरी कर ली हो तो उन मामलों में इस योजना के अन्तर्गत दूसरा वित्तीय उन्नयन सीधे ही दे दिया जाए ।

4. अतः सुनिश्चित कॅरिअर प्रोन्नयन की योजना शर्त संख्या 6 को, उपर्युक्त योजना की अन्य शर्तों और अनुबंधों के तारतम्य में पढ़ने से यह स्पष्ट है कि उच्चतर पद को धारण करने की दृष्टि से, किसी कर्मचारी से सुनिश्चित कॅरिअर प्रोन्नयन की योजना के अंतर्गत जिस वेतनमान हेतु उस पर विचार किया जा रहा हो उस पद के भर्ती नियमों के अनुसार शैक्षिक अर्हता, विभागीय परीक्षा, कौशल/टेड-परीक्षण, न्यूनतम निर्धारित मानक (बैंचमार्क) आदि सभी अन्य पहलुओं में पात्र होना तो अपेक्षित है, परन्तु जहाँ तक **"पात्रता सेवा"** से जुड़ी अपेक्षा का संबंध है, एक मात्र अपेक्षा यही है कि कर्मचारी ने, ग्रेड में सीधे प्रवेश से गिने जाने पर 12 वर्ष अथवा 24 वर्ष की नियमित सेवा, जैसी भी स्थिति हो, पूरी कर ली हो । किसी विशेष ग्रेड में पदावास अवधि को पूर्ण करने पर बल नहीं दिया जाएगा ।

5. वास्तव में, इस शर्त को उन मामलों में आगे और शिथिल कर दिया गया है जिनमें कोई कर्मचारी एक पद से किसी दूसरे पद में सीधी भर्ती /संविलयन के आधार पर अथवा प्रतिनियुक्ति के आधार पर जाकर बाद में संविलयित हो गया हो ऐसे मामलों में जैसा कि दिनांक 11.5.2000 के पत्र सं. पी सी-V/99/आई/1/1 के अनुबंध में शंका के मुददे संख्या 4-6 के उत्तर में स्पष्ट किया गया है, नियमित सेवा के अन्तर्गत उसी ग्रेड में की गई विगत-सेवा का शुमार भी किया जा सकता है।

18/3/05

(प्रभात गोयल)
निदेशक, वेतन आयोग
रेलवे बोर्ड.